क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 3 | फरवरी 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

हिन्दोस्तानी गणतंत्र की 73वीं सालगिरह पर :

इस गणतंत्र का मक़सद है मेहनतकश लोगों को सत्ता से बाहर रखना

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 18 जनवरी, 2023

26 जनवरी, 1950 को हिन्दोस्तान को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। स्वतंत्र हिन्दोस्तान की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान इस देश का मौलिक क़ानून बन गया। यह धारणा फैलाई गई कि हिन्दोस्तान के लोगों ने अपने देश के विकास की दिशा तय करने की शक्ति हासिल कर ली है।

आज, 73 साल बाद, यह स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों के पास हिन्दोस्तानी समाज के विकास की दिशा को तय करने की शक्ति नहीं है। क़ानूनों और नीतियों के बारे में फ़ैसले लेने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

केंद्र सरकार उन्हीं नीतियों को अपनाती है जो मुट्ठीभर अति-धनवान पूंजीपतियों की दौलत को बढ़ाती हैं। एक पहले से ही धनवान अल्पसंख्यक तबका और धनवान होता जा रहा है जबकि हमारे मेहनतकश लोग दुनिया के सबसे ग़रीब लोगों में गिने जाते हैं। संसद ऐसे क़ानून बनाती है जो पूरी तरह से मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी हैं। इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को यू.ए.पी.ए., आफ्स्पा या किसी अन्य कठोर क़ानून के तहत अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखा जाता है।

इस तथाकथित लोकतांत्रिक गणराज्य में लोगों की शक्तिहीन स्थिति किसी दुर्घटना या ग़लती का परिणाम नहीं है। इस गणराज्य को इसी मक़सद से बनाया गया है। 1950 में अपनाए गए संविधान को इस प्रकार से बनाया गया था ताकि फ़ैसले लेने की शक्ति थोड़े से धनवान शोषकों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के हाथों में ही रहेगी।

आज, 73 साल बाद, यह स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों के पास हिन्दोस्तानी समाज के विकास की दिशा को तय करने की शक्ति नहीं है। क़ानूनों और नीतियों के बारे में फ़ैसले लेने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

1950 के संविधान को अपनाने वाली संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उन्हीं पूंजीपतियों और जमींदारों के हितों के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौता किया था और जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत से लाभ प्राप्त हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा बनाई गई राजनीतिक व्यवस्था को बरकरार रखना अपने लिए फ़ायदेमंद समझा।

संविधान सभा ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, जिसकी राजनीतिक प्रक्रिया सरमायदार वर्ग के हाथ में राज्य सत्ता को रखने और मेहनतकश लोगों को पूरी तरह से राज्य सत्ता से बाहर रखने के मक़सद से बनायी गयी है। यह एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें इजारेदार पूंजीपति अपने धन बल और मीडिया पर नियंत्रण का इस्तेमाल करके चुनावों के नतीजे तय करते हैं। वे उस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करते हैं जो उस समय पर, उनके हितों को सबसे अच्छी तरह पूरा कर सकती है। जब एक भरोसेमंद पार्टी बदनाम हो जाती है और लोगों को धोखा नहीं दे सकती है, तो वे उसकी जगह पर दूसरी भरोसेमंद पार्टी को ले आते हैं, ताकि यह धारणा बनाते हुए कि कुछ बदल गया है, उसी पहले के एजेंडे को जारी रखा जा सके।

1950 के संविधान के लगभग तीन-चौथाई हिस्से को ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किये गए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारत सरकार अधिनियम) से पूरा-पूरा उठाया गया था। यह संविधान उपनिवेशवादी तरीक़े से, हिन्दोस्तानी संघ को क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित करता है तथा हिन्दोस्तान के अन्दर बसे हुए राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के अस्तित्व और अधिकारों को मान्यता नहीं देता है।

शेष पृष्ठ 2 पर

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित सभा :

जानलेवा शराब फैक्ट्री के ख़िलाफ़ पंजाब के लोगों का संघर्ष

पंजाब में ज़ीरा तहसील, फिरोजपुर के मंसूरवाल गांव और उसके आस-पास के क्षेत्रों के किसान, शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री, मालब्रोस इंटरनेशनल लिमिटेड, के ख़िलाफ़ बीते पांच महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के रहने वाले सब लोग, अपने भूजल, मिट्टी और पर्यावरण पर, शराब कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी के द्वारा पैदा हुए ख़तरनाक प्रदूषण का विरोध कर रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण, पहले ही, कई लोगों की जान जा चुकी है। जबकि एक तरफ, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई जारी है, तो इसके बावजूद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। पूरे पंजाब में, लोग सरकार से बहुत नाराज़ हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों से, बड़ी संख्या में लोग इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आगे आए हैं।

जानलेवा शराब फैक्ट्री के ख़िलाफ़ पंजाब के लोगों के संघर्ष के समर्थन में, मज़दूर एकता कमेटी ने 7 जनवरी, 2023 को एक बैठक आयोजित की। श्री राजविंदर सिंह बैंस, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और जो उच्च न्यायालय में ज़ीरा के उत्पीड़ित लोगों

का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया। मज़दूर एकता कमेटी के सचिव श्री बिरजू नायक ने भी बैठक को संबोधित किया। पंजाब और देश के कई अन्य हिस्सों से आये हुए लोगों के साथ-साथ, विदेशों से भी कई सहभागियों ने सभा में भाग लिया, अपनी बातें रखीं और संघर्षरत लोगों का समर्थन किया।

बैठक का संचालन मज़दूर एकता कमेटी के संतोष कुमार ने किया। उन्होंने सभी वक्ताओं और सहभागियों के हार्दिक स्वागत के साथ बैठक की शुरुआत की और श्री राजविंदर सिंह बैंस को इस मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया।

श्री बैंस ने इस हक़ीक़त पर प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत की, कि उनकी क़ानूनी टीम की जांच से पता चला है कि शराब फैक्ट्री न केवल शराब का उत्पादन कर रही है बल्कि इसके साथ, कुछ ख़तरनाक रसायनों का उत्पादन भी कर रही है और उन्हें विदेशों में निर्यात कर रही है। उनकी टीम ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी इसके बारे में तहक़ीक़ात करने की गुज़ारिश की है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं मिला है। यह भी गौर करने की बात है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दस्तावेज़ों के अनुसार, यह कंपनी, एक शून्य-डिस्चार्ज (बिना कोई गंदे पानी या किसी प्रकार के डिस्चार्ज) वाली कंपनी के रूप में सूचीबद्ध है!

यह आंदोलन जुलाई 2022 में शुरू हुआ, जब उस क्षेत्र के ट्यूबवेल से बहुत गंदा और शराब का बदबूदार पानी आने लगा। पानी का दूषित होना और यहां पर तूफान आने पर हर चीज़ पर मोटी राख की परत का जमना, ये सबको साफ़-साफ़ दिखाई देते हैं – इनके लिए किसी प्रकार की जांच की भी ज़रूरत

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- फिलिस्तीन – संघर्ष जारी है 2
- छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में कोयला खनन 3
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 3
- अमेज़न के मज़दूरों की छंटनी 4
- फ्रांस में दस लाख से अधिक मज़दूरों ने हड़ताल की 5

अपनी मातृभूमि के लिए फिलिस्तीनी लोगों का बहादुर संघर्ष जारी है

वर्ष 2022 ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि किसी भी प्रकार का दमन फिलिस्तीनी लोगों की अदम्य भावना और अपनी मातृभूमि के लिए चले आ रहे उनके लंबे समय के संघर्ष को कुचल नहीं सकता।

फिलिस्तीनी लोगों ने पूर्वी येरूशलम और पश्चिमी तट पर इज़राइली सेना द्वारा किये गये कब्ज़े के ख़िलाफ़, अपनी मातृभूमि के लिये सड़कों पर संघर्ष छेड़ दिया है। अमरीकी साम्राज्यवाद और अन्य साम्राज्यवादी ताक़तों द्वारा समर्थित, इज़राइली राज्य ने फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकालने का काम किया है और खाली हुये घरों और भूमि पर यहूदियों की बस्तियां की स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही अपनी योजना को लागू कर रहा है। इस फासीवादी योजना को लागू करने और फिलिस्तीनी लोगों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए इज़राइली राज्य ने अपने सशस्त्र बलों के ज़रिये बर्बर हिंसा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वर्ष 2022 में ही, फिलिस्तीनियों के क़ब्ज़े वाले फिलिस्तीन में 30 बच्चों सहित 171 से अधिक लोगों को इज़राइली सशस्त्र बलों द्वारा गोली मार दी गई थी। यह संख्या इज़राइली सेना द्वारा बार–बार किये गये मिसाइली हमलों के दौरान गाज़ा पट्टी में मारे गए लोगों से अलग है।

नए साल में फिलिस्तीनी लोगों पर इज़राइली सेना द्वारा किये जा रहे जानलेवा हमले बढ़ गए हैं, केवल जनवरी के पहले दो हफ्तों में ही 15 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। इज़राइल में सत्ता में आई नई सरकार, क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक बस्तियां स्थापित करने और क़ब्ज़े वाले सभी क्षेत्रों को इज़राइली राज्य में मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हौलैंड के एम्स्टरडाम में फिलिस्तीनी संघर्ष के समर्थन में प्रदर्शन (15 मई 2021)

75 साल पहले, फिलिस्तीन पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के बाद इज़राइल राज्य की स्थापना की गई थी। लाखों फिलिस्तीनी लोगों को उनकी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया और वे अन्य देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गये।

1967 में अरब और इज़राइल के बीच हुये युद्ध के बाद, इज़राइल ने पूर्वी येरूशलम, पश्चिम तट और ग़ाज़ा पट्टी की फिलिस्तीनी भूमि पर क़ब्ज़ा कर लिया। इज़राइली सशस्त्र बलों ने पिछले 55 वर्षों से फिलिस्तीन के इन क्षेत्रों पर अपना क़ब्ज़ा जारी रखा है।

फिलिस्तीन के लोगों ने इज़राइल के क़ब्ज़े वाले इलाकों में तैनात सैनिकों द्वारा अपने राष्ट्रीय अधिकारों के हनन को उजागर करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया है।

इस संबंध में पूर्वी येरूशलम सहित क़ब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने 27 अक्तूबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइल द्वारा किया गया क़ब्ज़ा अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के तहत गैर क़ानूनी है। इसमें फिलिस्तीन की भूमि पर क़ब्ज़ा करने के लिए इज़राइल द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की है। रिर्पोट ने यह इंगित किया कि इज़राइल फिलिस्तीन के लोगों के आत्म–निर्णय के अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। इजराइल का फिलिस्तीन के लोगों के इस अधिकार को नकारने का कानूनी परिणाम क्या है – इस पर रिर्पोट ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफ़रिश की कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) की सलाहकार राय प्राप्त करे। आई.सी.जे. संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। यह एक अंतरराष्ट्रीय अदालत है जो देशों के बीच विवादों से निपटती है। आई.सी.जे. के पास अपने फ़ैसलों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है।

31 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आई.सी.जे. से इस मुद्दे पर क़ानूनी राय मांगने वाले एक प्रस्ताव पर मतदान किया गया। 87 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इज़राइल और अमरीका सहित 26 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। 53 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अधिकांश देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें हिन्दोस्तान के पड़ोसी देश – पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन शामिल थे – हिन्दोस्तान की सरकार ने मतदान में भाग नहीं लिया।

हिन्दोस्तान के लोगों ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों के उनके संघर्ष का समर्थन किया है। इस तरह मतदान से दूर रहना, हिन्दोस्तान की सरकार द्वारा लिया गया रुख़ दर्शाता है कि उनका दृष्टिकोण, फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के हक़ के मामले में पूरी तरह से सिद्धांतहीन हैं।

अपने राष्ट्रीय अधिकारों और अपनी मातृभूमि की बहाली के लिए फिलिस्तीन के लोगों का द्वारा किया जा रहा संघर्ष, एक न्यायपूर्ण संघर्ष है। इस संघर्ष में अन्य देशों के लोगों के साथ–साथ हिन्दोस्तान के लोग भी फिलीस्तीन के लोगों के साथ हैं।

http://hindi.cgpi.org/23029

गणतंत्र की 73वीं सालगिरह

पृष्ठ 1 का शेष

आज यह आम तौर पर माना जाता है कि हिन्दोस्तानी गणराज्य में लोगों के हाथों में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस विषय पर बहुत सारे ग़लत सोच–विचार फैलाये जाते हैं। सत्ताधारी सरमायदार वर्ग ने लोगों से सच्चाई को छुपाने के लिए एक झूठी धारणा पैदा की है और उसे ज़िंदा रखा है। यह धारणा है कि लोगों की शक्तिहीन स्थिति के लिए संविधान दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ़ कुछ भ्रष्ट नेता और पार्टियां दोषी हैं।

इस दमनकारी, उपनिवेशवादी शैली में बने हुए हिन्दोस्तानी संघ और उसके संविधान को लोकतांत्रिक और प्रगतिशील रूप में पेश करने में हिन्दोस्तानी सरमायदारों की सफ़लता के लिए ज़िम्मेदार एक मुख्य कारक हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट आंदोलन पर यूरोपीय सोशल डेमोक्रेसी का ज़बरदस्त प्रभाव है।

हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में माना था कि उपनिवेशवादी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद बना हुआ हिन्दोस्तानी राज्य मज़दूरों और किसानों पर सरमायदारों के अधिनायकत्व का एक हथकंडा था, लेकिन इसके बाद के वर्षों में कम्युनिस्ट आंदोलन इस समझ पर टिका नहीं रहा। कम्युनिस्ट आन्दोलन इस भ्रम का शिकार हो गया कि संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मज़दूर वर्ग अपने समाजवाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। कम्युनिस्ट आंदोलन के अन्दर विभिन्न गुटों ने "मिश्रित अर्थव्यवस्था" और पूंजीवाद व समाजवाद के बीच तथाकथित मध्य मार्ग की अवधारणा का प्रचार करना शुरू कर दिया।

कम्युनिस्ट नेताओं के सोशल डेमोक्रेसी के साथ समझौते की वजह से, सरमायदारों को मौजूदा आर्थिक व्यवस्था और राज्य के वास्तविक चरित्र को छिपाने में मदद मिली है। आज कम्युनिस्ट आन्दोलन में वे लोग बहुत हानिकारक भूमिका निभा रहे हैं, जो साम्प्रदायिक और फासीवादी भाजपा से हिन्दोस्तानी गणराज्य और उसके संविधान की रक्षा की मांग कर रहे हैं।

मौजूदा राज्य और उसके संविधान की रक्षा करके मज़दूरों और किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। हमें एक ऐसे राज्य की आवश्यकता है जो हमें अति–अमीर अल्पसंख्यक तबके की अमीरी को बढ़ाने के लिए बनायी गयी व्यवस्था के शिकार होने के बजाय, खुद अपने जीवन पर नियंत्रण करने में सक्षम बनायेगा। हमें एक ऐसे राज्य की आवश्यकता है जो सभी की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दिलाएगा और रास्ते में रुकावट बनने वाली किसी भी निजी संस्था की संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर लेगा।

इस तथाकथित लोकतांत्रिक गणराज्य में लोगों की शक्तिहीन स्थिति किसी दुर्घटना या ग़लती का परिणाम नहीं है। इस गणराज्य को इसी मक़सद से बनाया गया है। 1950 में अपनाए गए संविधान को इस प्रकार से बनाया गया था ताकि फ़ैसले लेने की शक्ति थोड़े से धनवान शोषकों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के हाथों में ही रहेगी।

हमें एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज को सामंतवाद के सभी अवशेषों, जातिवादी अत्याचार और पूंजीवादी शोषण व साम्राज्यवादी लूट सहित, उपनिवेशवाद की पूरी विरासत से मुक्ति दिलाने का एक साधन होगा।

हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में माना था कि उपनिवेशवादी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद बना हुआ हिन्दोस्तानी राज्य मज़दूरों और किसानों पर सरमायदारों के अधिनायकत्व का एक हथकंडा था, लेकिन इसके बाद के वर्षों में कम्युनिस्ट आंदोलन इस समझ पर टिका नहीं रहा।

हमें एक नए संघ की आवश्यकता है जो स्वेच्छा पर आधारित हो, न कि बलपूर्वक थोपा गया और बरकरार रखा गया हो। हमें एक नए संविधान की आवश्यकता है जो प्रत्येक राष्ट्र, राष्ट्रीयता और आदिवासी लोगों को आत्म–निर्धारण के अधिकार की गारंटी देगा। संघ के पास केवल वे शक्तियां होनी चाहिएं जो सभी घटक स्वेच्छा से उसे सौंपते हैं।

संविधान को गारंटी देनी चाहिए कि संप्रभुता – फ़ैसले लेने की शक्ति – लोगों में निहित है। कार्यकारी शक्ति को निर्वाचित विधायी निकाय के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और विधायी निकाय को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

लोगों को क़ानूनों को प्रस्तावित करने और क़ानूनों को ख़ारिज करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें संविधान में संशोधन करने या उसे दोबारा लिखने का अधिकार होना चाहिए। हमें चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने, चुने गए लोगों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें किसी भी समय वापस बुलाने और क़ानून प्रस्तावित करने का अधिकार होना चाहिए। लोगों के नाम पर फ़ैसले लेने के बजाय, राजनीतिक पार्टियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, कि फ़ैसले लेने की शक्ति लोगों के हाथों में रहे।

हिन्दोस्तानी गणतंत्र की 73वीं सालगिरह के अवसर पर, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी मज़दूर वर्ग के सभी संगठनों और नेताओं से आह्वान करती है कि अपने वर्ग के सांझे लक्ष्य के इर्द–गिर्द एकजुट हों। हिन्दोस्तान को एक स्वेच्छा पर आधारित संघ के रूप में पुनर्गठित करने की ज़रूरत है, जो सब को सुख–सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आइये, मज़दूर वर्ग को देश के लोगों को एकजुट करने वाली और अगुवाई देने वाली शक्ति बतौर तैयार करें ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें।

http://hindi.cgpi.org/23010

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में कोयला खनन :

इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करना

छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य वनों के नीचे एक कोयला क्षेत्र है जिसमें 22 कोयला ब्लॉक शामिल हैं। 2010 में केंद्र सरकार ने हसदेव अरण्य को खनन के लिए 'निषिद्ध' इलाके के रूप में वर्गीकृत किया था और इनमें से किसी भी ब्लॉक में खनन से इनकार कर दिया था। परन्तु, एक साल बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने एक कोयला ब्लॉक के खनन के लिए मंजूरी दे दी। वर्तमान में, 22 ब्लॉकों में से सात ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को आवंटित किए गए हैं।

आवंटित की गई कंपनियों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आर.आर.वी.यू.एन.एल.), आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कंपनी (ए.पी.एम.डी.सी.) और छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी (सी.एस.पी.जी.सी.) शामिल हैं। उपरोक्त सभी सरकारी मालिकी वाली कंपनियां हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, उस क्षेत्र में कोयला खनन के ख़िलाफ़ लोगों द्वारा शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जो नदियों, जंगलों और किसानों के चावल के खेतों पर हानिकारक असर डाल रहा है। संघर्ष के परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार को ए.पी.एम.डी.सी. और सी.एस.जी.पी.सी. को जारी खनन लाइसेंस रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन, राजस्थान सरकार के मालिकी वाले तीन ब्लॉकों – परसा, परसा ईस्ट केटे बसन फेज 2 और केटे एक्सटेंशन में खनन जारी है।

कोयला खनन को लेकर उस क्षेत्र के निवासियों का विरोध इतना तीव्र रहा

है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से एक निजी सदस्य प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से हसदेव अरण्य जंगलों में सभी खनन परियोजनाओं को रद्द करने के लिए कहा गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हरेक पार्टी ने खनन रोकने की ज़िम्मेदारी दूसरे पर डाल दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि केंद्र ने खदानों के आवंटन का फ़ैसला किया था, इसलिए केंद्र सरकार को यह तय करना चाहिए कि खनन जारी रहना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार को खदान को विकसित और संचालित करने वालों (माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर) को दी गयी मंजूरी वापस लेने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

21 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हसदेव अरण्य वन में परसा में कोयला खनन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि, "हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं।"

इजारेदार पूंजीपतियों का विकास

जब पूंजीपति वर्ग विकास की बात करता है तो इसका मतलब पूंजीवादी विकास होता है – यानि, समाज की भलाई को दांव पर रखकर, इजारेदार पूंजीपतियों की संपत्ति में वृद्धि।

छत्तीसगढ़ में स्थित परसा ईस्ट केटे बसन ब्लॉक को 2007 में आर.आर.वी.यू.एन.एल. को दिया गया था। आर.आर.वी.यू.एन.एल. ने माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (एम.डी.ओ.) सेवाओं की मांग करते हुए एक निविदा जारी की। इस निविदा को अडानी एंटरप्राइजेज ने जीता था। खनन 2013 में शुरू हुआ। सालाना 20 लाख टन कोयले से शुरुआत करते हुए यहां 2017 के बाद से सालाना 1.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हो रहा है।

छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में कई कोयला खदानें माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (एम.डी.ओ.) मॉडल के अनुसार चलाई जा रही हैं। इस मॉडल के अनुसार, कोयला ब्लॉक मालिक पूरे संचालन को एक तीसरे पक्ष को अनुबंध (ठेके) पर देता है, जो उसमें निवेश करके उस खदान के खनन, विकास और संचालन की ज़िम्मेदारी लेता है। इसके बाद वह खदान मालिकी वाले राज्य बिजली बोर्डों के बिजली संयंत्रों को निविदा में निर्धारित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करता है।

एम.डी.ओ. मॉडल राज्य बिजली बोर्डों, जो खदानों के नाममात्र के मालिक हैं, को लूटकर अधिकतम मुनाफ़ा कमाने के लिए पूंजीपतियों का हथकंडा बन गया है। अनुबंध की शर्तों को जनता से गुप्त रखा जाता है।

इस मामले में, सार्वजनिक रूप से यह जाना जाता है कि अनुबंध के अनुसार, राजस्थान विद्युत बोर्ड केवल उस कोयले की ख़रीदी करेगा जिसमें कम से कम 4,000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम की ऊर्जा सामग्री होगी। कम ऊर्जा सामग्री वाले कोयले को अस्वीकार कर दिया जाता है।

परसा केटे माइंस सालाना 1.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करती है। 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित बिजली

शेष पृष्ठ 4 पर

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन :

सरकार अपने नापाक लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम

सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन.एम.पी.) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की संपत्तियों को इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपने कर, वर्ष 2022–2023 में 1,62,000 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य रखा था। अब, यह बताया गया है कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने से, 50,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम से पीछे है।

2021–2022 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा एन.एम.पी. की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार ने घोषणा की कि वह 2021 से 2025 तक की चार साल की अवधि में बुनियादी ढांचागत संपत्तियों को इजारेदार पूंजीपतियों को हस्तांतरित करके 6 लाख करोड़ रुपये एकत्र करेगी।

इस धन में से 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक रेलवे से प्राप्त होने थे। 4 साल की अवधि दौरान, 400 रेलवे स्टेशनों, कोंकण रेलवे, पहाड़ी इलाकों में चलने वाली रेलगाड़ियों, 90 दूसरी रेलगाड़ियों और रेलवे के 15 स्टेडियमों के निजीकरण, आदि के मुद्रीकरण के माध्यम से अर्जित किया जाना था।

साल 2021–22 के दौरान रेलवे, एक रेलवे स्टेशन और रेलवे की कुछ कॉलोनियों को पूंजीपतियों को सौंपकर 800 करोड़ रुपए ही जुटा पाया। चालू वर्ष 2022–23 में 120 स्टेशनों, 30 रेलगाड़ियों और 1,400 किलोमीटर पटरियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने की संभावना नहीं दिख रही है।

दूरसंचार विभाग 20,180 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुक़ाबले अब तक किसी भी दूरसंचार संपत्ति का मुद्रीकरण नहीं कर पाया है। भारतनेट इन्फ्रा और बी.एस.एन.एल. व एम.टी.एन.एल. के टावरों के 3 लाख किलोमीटर से भी अधिक के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपकर, इस लक्ष्य को हासिल किया जाना था।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइनों को पेट्रोलियम मंत्रालय इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपने में अब तक कोई सफलता हासिल नहीं पाया है। बिजली मंत्रालय भी बिजली के बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है।

एक मुख्य क्षेत्र जहां राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लक्ष्यों को पूरा किया गया है, वह कोयला खनन का क्षेत्र है। वर्ष 2021–22 में और चालू वित्त वर्ष, दोनों में ही यही स्थिति रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार, चार वर्षों 2021–22 से 2025–26 के दौरान मुद्रीकरण के लिए कोयला खनन की 160 संपत्तियों की पहचान की गई थी। इनमें माइन (खदान) डेवलपर एंड ऑपरेटर (एम.डी.ओ.) मॉडल के तहत, खदानों और परियोजनाओं की नीलामी शामिल है। एम.डी.ओ. मॉडल के तहत, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोयले की खदान की मालिक बनी रहती है, लेकिन खदान का विकास और संचालन एक निजी पूंजीपति द्वारा किया जाता है।

2021–22 में, इन दो वर्षों के दौरान, कोयले के मुद्रीकरण से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक अर्जित करने का लक्ष्य था। सरकार को 2021–22 में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले और कोयला खनन संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से चालू वर्ष में 75,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने की योजना है। कोयला मंत्रालय को अनुमान है कि इन दो वर्षों में, इजारेदार पूंजीपतियों को कोयला ब्लॉकों को बेचने से 80,000 करोड़ रुपये मिलेंगे व एम.डी.ओ. मॉडल के ज़रिये 30,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जो मंत्रालय निजीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं, उन पर सरकार यह दबाव डाल रही है कि वे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या बेचेंगे, इसकी योजना पेश करें। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि ऐसे मंत्रालय जो निजीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे हैं, आने वाले बजट में उन सबके फंड में कटौती की जाये। इसका मतलब यह है कि सरकार रेलवे, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल., पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनियों, बिजली क्षेत्र की उत्पादन और वितरण कंपनियों आदि को और भी अधिक बर्बाद करने की योजना बना रही है और उन्हें पूंजीपतियों को बेहद सस्ते दामों में सौंपने के हालात तैयार कर रही है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, पूंजीपतियों के निजीकरण के कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका उद्देश्य है पूरे समाज की खनिज सम्पदा को, भूमि व बुनियादी ढांचे की संपत्ति को, इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपना। इन बुनियादी ढांचे की संपत्तियों का निर्माण, मज़दूरों की अनेक पीढ़ियों के श्रम द्वारा किया गया है।

एन.एम.पी. की घोषणा के बाद से पिछले दो वर्षों के नतीजे यह बताते हैं कि निजीकरण के ख़िलाफ़ मज़दूरों और मेहनतकश लोगों के बढ़ते विरोध के कारण, इस योजना को लागू करने में सरकार को मुश्किल हो रही है। विशेष रूप से रेल मज़दूरों, बिजली मज़दूरों, पेट्रोलियम व गैस मज़दूरों तथा दूरसंचार के मज़दूरों के जबरदस्त विरोध ने सरकार की इन योजनाओं पर पानी फेर दिया है।

सभी उद्योगों और क्षेत्रों के मज़दूरों को निजीकरण के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को तेज़ करने की सख़्त ज़रूरत है, यह चाहे एन.एम.पी. के नाम से या किसी भी रूप में पेश किया जाए। हमें सभी क्षेत्रों और उद्योगों में अपनी एकता को मजबूत करना चाहिए और कोयला तथा अन्य क्षेत्रों के मज़दूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, जो इस समय सरकार के निजीकरण के क्रूर हमले का बहादुरी से सामना कर रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/23033

अमेज़न द्वारा दुनिया भर में हजारों मज़दूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी

2022 के ख़त्म होते–होते अमेज़न ने वैश्विक स्तर पर हजारों कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। उस विशाल कंपनी ने घाटे का हवाला देते हुए अपने विभिन्न व्यवसायों में नौकरियों में कटौती की है। अमेज़न की 15 लाख से अधिक की कुल मज़दूर संख्या का लगभग 7 प्रतिशत हिन्दोस्तान में हैं। जनवरी 2023 की शुरुआत में यह बताया गया कि हिन्दोस्तान में अमेज़न के 18,000 कर्मचारियों को सितंबर 2022 में निकाल दिया गया था।

आईटी/आई.टी.ई.एस. मज़दूरों के एक यूनियन, नेसेंट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लाईज़ सेनेट (एन.आई.टी.ई.एस.), ने नवंबर 2022 में केंद्रीय श्रममंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें सरकार से हिन्दोस्तान में अमेज़न द्वारा की जा रही छंटनी में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था।

यूनियन ने अमेज़न पर हिन्दोस्तान के श्रम क़ानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसे अमेज़न के कर्मचारियों से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें अपना इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि यह स्वैच्छिक है। मंत्रालय द्वारा जांच के जवाब में, अमेज़ॅन इंडिया ने बड़े पैमाने पर छंटनी की ख़बरों का खंडन किया और कहा कि मज़दूरों ने "स्वैच्छिक कार्य छोड़ो कार्यक्रम" के तहत, स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है।

एन.आई.टी.ई.एस. ने बताया है कि अमेज़न इंडिया ने नवंबर की शुरुआत में अंदरूनी संचार के माध्यम से अपने कर्मचारियों से कहा था कि जो लोग स्वेच्छा से इस्तीफा देने की घोषणा नहीं करते हैं, उन्हें "वर्क फ़ोर्स ओपटीमाइज़ेशन प्रोग्राम" (यानि मज़दूरों की संख्या को 'अनुकूल' करने के कार्यक्रम) के तहत, बिना कोई बेनिफिट दिए निकाल दिया जाएगा।

अमेज़न के प्रभावित कर्मचारियों को यह तय करने के लिए 29 नवंबर तक की मोहलत दी गई थी, कि क्या वे 30 नवंबर तक स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, अमेज़न इंडिया के मज़दूरों को सिर्फ यह तय करने का मौका दिया गया कि वे किस तरह अपनी नौकरी खोना चाहते हैं!

एन.आई.टी.ई.एस. द्वारा मंत्री को दी गयी याचिका में कहा गया है कि "औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी मालिक उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति के बिना, कंपनी के मस्टर रोल पर मौजूद कर्मचारी को नहीं निकाल सकता है।" इसके अलावा, एक कर्मचारी जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा की है, उसे तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उसे तीन महीने पहले नोटिस नहीं दिया जाता है और उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति नहीं मिलती है।

हाल ही में, अमेज़न इंडिया ने हिन्दोस्तान में तीन व्यवसायों – थोक ई–वितरण (अमेज़न वितरण), खाद्य वितरण (अमेज़न फूड), और उसके एड–टेक व्यवसाय (अमेज़न अकादमी) से बाहर निकलने की घोषणा की है। खाद्य वितरण व्यवसाय मई 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था, जबकि एड–टेक व्यवसाय 2021 में शुरू किया गया था। थोक वितरण व्यवसाय महामारी से पहले स्थापित किया गया था।

रिपोर्टों के मुताबिक, अमेज़न घाटे में चल रही अपनी सभी इकाइयों की समीक्षा कर रहा है, ताकि उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जहां लागत में कटौती की जा सकती है। उसने घाटे में चल रही कंपनियों को बंद कर दिया है और अब नए अवसरों की तलाश शुरू कर दी है।

इजारेदार पूंजीपति सिर्फ अपने मुनाफ़ों को अधिकतम करने के नज़रिए से यह तय करते हैं कि उनके व्यवसाय की कौन सी शाखाओं को बंद करना है और कौन सी नई शाखाओं में व्यवसाय स्थापित करना है। वे मज़दूरों को केवल एक लागत के रूप में देखते हैं, और इस बात की परवाह नहीं करते कि हजारों मज़दूरों को बिना नौकरी के सड़कों पर फेंकना पड़े। इजारेदार पूंजीपति अपने कारोबार की कार्य–कुशलता जैसे सवालों को सिर्फ अपने मुनाफ़ों को अधिकतम करने के नज़रिए से देखते हैं। वे इसे समाज के नज़रिए से नहीं देखते हैं।

सिर्फ अमेज़न ही नहीं, बल्कि कई दूसरी कंपनियां भी हजारों–हज़ारों मज़दूरों की छंटनी कर रही हैं। करोड़ों मज़दूर काम करने के अवसर से वंचित हैं और इस तरह अर्थव्यवस्था में उत्पादक रूप से योगदान नहीं कर पाते हैं। बेरोज़गार मज़दूरों की यह बढ़ती सेना समाज पर एक बोझ है। सम्पूर्ण रूप से देखें तो पूंजीवादी समाज बेहद गैर–कार्यकुशल है।

मज़दूरों की यूनियन ने एक अहम मुद्दा उठाया है कि नौकरी गंवाने वाले मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का फ़र्ज़ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की मांग है कि इतनी बड़ी कंपनियों में छंटनी और बंदी उपयुक्त सरकार की अनुमति से ही हो सकती है। केंद्र सरकार को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि उसने अमेज़न द्वारा छंटनी को मंजूरी दी है या नहीं। अगर अमेज़न को इस तरह की मंजूरी नहीं मिली है तो उसके ख़िलाफ़ हिन्दोस्तान के श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

साथ ही, मज़दूरों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि राज्य – सरकार के मंत्रालय और विभाग, लेबर कोर्ट आदि उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था की दिशा इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए तय की जाती है। हिन्दोस्तानी राज्य अर्थव्यवस्था की इस दिशा को बरकरार रखता है। इस व्यवस्था के चलते, किसी पूंजीपति के लिए यह क़ानूनी है कि वह अपने कारोबार में मज़दूरों की उपयोगिता के आधार पर उन्हें नौकरी पर रखे या निकाल दे। केंद्र और राज्य सरकारें पूंजीपति के इस "अधिकार" का बचाव करती हैं।

इस पूंजीवादी व्यवस्था का एक विकल्प है। पूंजीपतियों की हुकूमत की जगह पर मज़दूर–किसान की हुकूमत स्थापित करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। तब हम समाज के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सक्षम होंगे। मज़दूरों–किसानों की हुकूमत में एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां मज़दूरों और किसानों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना ही उत्पादन का लक्ष्य होगा। वह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें उत्पादन को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया जायेगा और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थव्यवस्था की योजना बनाने का आधार होगी। जब इस तरह की योजना के अनुसार सभी उपलब्ध संसाधनों का निवेश किया जाता है, तो उत्पादन में निवेश और विस्तार से बहुत बड़े पैमाने पर नए रोज़गार पैदा होंगे।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ऐसा नियोजित विकास समाज को समय–समय पर होने वाले आर्थिक संकटों से बचाएगा, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और समाज को बहुत बड़ी भौतिक क्षति पहुंचाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में भी प्रत्येक कारोबार की कार्य–कुशलता चिंता का विषय होगी, लेकिन एक कारोबार को बंद करने का निर्णय मज़दूरों को दूसरे संयंत्र में स्थानांतरित करने, उन्हें नए कार्यों के लिए फिर से प्रशिक्षित करने, आदि की योजना के साथ होगा।

नतीजतन, हजारों मज़दूरों के लिए हमेशा रोज़ी–रोटी खोने के ख़तरे के बजाय, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक मज़दूर के लिए रोज़ी–रोटी की सुरक्षा होगी।

http://hindi.cgpi.org/23023

हसदेव जंगलों में कोयला खनन

पृष्ठ 3 का शेष

संयंत्रों को 11 मिलियन टन कोयला भेजा गया था। चार मिलियन टन – कुल उत्पादित कोयले के लगभग 26 प्रतिशत – को ख़ारिज घोषित किया गया था।

सरकारी और निजी बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की औसत गुणवत्ता 3,400 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। छत्तीसगढ़ में निजी उद्योग इससे भी कम ऊर्जा सामग्री वाले कोयले का उपयोग करते हैं। इसलिए राजस्थान राज्य द्वारा अस्वीकार घोषित किए गए अधिकांश कोयले का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है और निजी मालिकी वाले बिजली संयंत्रों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

निजी स्वामित्व वाली कोयला खदानों में कोयले के उत्पादन की लागत लगभग 800 रुपये प्रति टन होने का अनुमान है। राजस्थान विद्युत बोर्ड ने अपनी खदानों से मिले कोयले के लिए 2,175 रुपये प्रति टन का भुगतान किया।

ज्यादातर ख़ारिज किए गए कोयले को खदानों से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अडानी पावर की मालिकी वाले बिजली संयंत्रों में भेजा गया है। इसमें अडानी पावर की मालिकी वाले थर्मल पावर स्टेशन, रायपुर एनर्जेन, को भेजा गया 26 लाख टन कोयला भी शामिल है, जिसने उस कोयले के लिए सिर्फ 450 रुपये प्रति टन का भुगतान किया था।

यदि निजी बिजली संयंत्र इस कोयले का उपयोग कर सकते हैं, तो राजस्थान में राज्य की मालिकी वाले बिजली संयंत्र भी ऐसा कर सकते हैं। 2021 में कोयले का बाज़ार मूल्य 7000 रुपये प्रति टन से अधिक था। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने लगभग 2,800 करोड़ रुपये के बाज़ार मूल्य वाला 4 मिलियन टन कोयला अडानी एंटरप्राइजेज को लगभग मुफ्त में सौंप दिया।

राजस्थान सरकार और अडानी समूह के बीच ठेके को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि निजी इजारेदार पूंजीवादी समूह अपने मुनाफ़े को अधिकतम कर सकें। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा सरकारी खजाने की लूट की जा रही है!

यह पूरे देश में राज्य बिजली बोर्डों के साथ हो रहा है। इसी तरह के अनुबंध अन्य राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विभिन्न इजारेदार पूंजीपतियों के साथ किए गए हैं।

हिन्दोस्तानी राज्य इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े कमाने की इच्छा को पूरा करने के लिए काम करता है। राज्य के सभी अंग – केंद्र और राज्य सरकारें, न्यायपालिका, संसद और राज्य विधान सभाएं, हुक्मरान वर्ग की प्रमुख पार्टियां – इजारेदार पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

लोग इस भ्रम में नहीं रह सकते कि मौजूदा व्यवस्था के चलते, उनके हितों की हिफ़ाज़त की जा सकती है। इस व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग के हाथों में है। हमें एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से मज़दूरों और किसानों की एकता का निर्माण करना होगा, जिसमें राजनीतिक सत्ता मज़दूरों और किसानों के हाथों में होगी। तब हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि अर्थव्यवस्था पूरे समाज की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में चलायी जायेगी। तब हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि पूंजीवादी लालच के कारण प्राकृतिक वातावरण नष्ट नहीं होगा।

http://hindi.cgpi.org/23014

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

फ्रांस में दस लाख से अधिक मज़दूरों ने हड़ताल की

19 जनवरी, 2023 को पूरे फ्रांस में एक दिन की हड़ताल हुई। दस लाख से अधिक की संख्या में मज़दूरों ने अपनी ट्रेड यूनियन संबद्धताओं को दरकिनार करते हुये एकजुट होकर भाग लिया। वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की सेवानिवृत्ति की क़ानूनी उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 करने की योजना का विरोध कर रहे थे। जिससे उन्हें अगले दो वर्षों के लिए उनकी देय पेंशन से वंचित कर दिया गया।

इस हड़ताल के दौरान उत्तर में कैलिस से लेकर दक्षिण में मार्सिले तक, रेलवे और बिजली कर्मचारियों, अस्पताल कर्मियों, स्कूल के शिक्षकों और कई अन्य उद्योगों और सेवाओं के मज़दूरों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। देश के विभिन्न हिस्सों में 200 से अधिक स्थानों पर विरोध जुलूस आयोजित किए जाने की सूचना मिली है। ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बंद हो गईं, स्कूल बंद रहे तथा हवाई सेवायें और बिजली आपूर्ति सेवायें भी प्रभावित हुईं। उनके संघर्ष में सरकार द्वारा उनके उचित हक़ से वंचित करने के क़दम के ख़िलाफ़ हड़ताल ने फ्रांस के मज़दूरों की एकता और तीव्र गुस्से को दिखाया ।

ट्रेड यूनियनों ने कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे 31 जनवरी को हड़ताल के एक और दिन के लिए व्यापक रूप से लामबंधी करें, ताकि पेंशन अधिकारों की बहाली की उनकी मांग पर ज़ोर दिया जा सके।

http://hindi.cgpi.org/23031

9 जनवरी, 2023 को फ्रांस के अलग-अलग क्षेत्र के मज़दूरों द्वारा की गयी हड़ताल के कुछ दृष्य

मज़दूर एकता कमेटी की सभा

पृष्ठ 1 का शेष

नहीं है। इतने जानवर मर गए, इतने लोगों की जान जा चुकी है लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

इस क्षेत्र के लोग, पिछले 5 महीने से दिन–रात, धरना–स्थल पर डेरा डाले हुए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। उन्हें पुलिस के लाठी चार्ज और गिरफ़्तारियों का सामना करना पड़ा है। लाठीचार्ज और गिरफ़्तारियों के कारण, इस संघर्ष ने अब एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। अब तक यह संघर्ष मुख्य रूप से उस इलाके के निवासियों तक ही सीमित था। लेकिन इसके बाद, पूरे पंजाब से अनेक किसान संगठन बड़ी संख्या में इस संघर्ष में शामिल हुए हैं। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार को मजबूर होकर, फ़सलों, मवेशियों, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को अभी तक हुए नुक़सान का आकलन करने के लिए, अब चार जांच समितियों का गठन करना पड़ा है।

श्री बैंस ने बताया कि कैसे सरकार और अदालत सहित, राज्य की सभी एजेंसियां पूंजीपतियों की रक्षा के लिए मिलकर काम कर रही हैं। उनकी राय में, पंजाब सरकार, इस कंपनी के पूंजीपति के पक्ष में अदालत से एक आदेश पारित कराने की कोशिश कर रही है, ताकि सरकार खुद लोगों की नज़रों में बेनकाब न हो। जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, वैसे ही इस कंपनी के मालिक दीप मल्होत्रा, जो शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि न्यायालय उन्हीं के पक्ष में फ़ैसला सुनायेगा। उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि पूंजीपति को मुआवज़े के रूप में 20 करोड़ रुपये दिए जाएं, क्योंकि विरोध–प्रदर्शनों के कारण कम्पनी बंद रही है। प्रदर्शनकारियों को कारखाने से 300 मीटर दूर, विरोध प्रदर्शन करने का आदेश दिया गया। जब संघर्ष जारी रहा तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा किया जाए। सरकार ने अदालत के आदेश को लागू करने के लिए, प्रदर्शनकारियों की ज़मीनों का सारा ब्यौरा, अदालत को सौंप दिया। अदालत ने आदेश दिया कि फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के चलती रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना या सी.आर.पी.एफ. का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारी गतिविधियों की वजह से, यह एक सर्व–पंजाब आन्दोलन बन गया।

श्री बैंस ने बताया कि पंजाब में हाल ही में चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार, आज लोगों की नज़रों में पूरी तरह से बदनाम हो गई है। जनता को समझ में आ रहा है कि यह पार्टी भी, इससे पहले सत्ता में आने वाली और सभी पार्टियों की तरह, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है और जनता के हितों के साथ विश्वासघात करती है। उन्होंने इन्साफ़ के लिए लड़ने वाले युवाओं और लोगों के जुझारूपन और मौत को भी मात देने वाले जज़्बे की सराहना की।

श्री बैंस ने विरोध स्थल पर अपनाए गए अनेक प्रेरणादायक तौर–तरीक़ों और लोगों को लामबंध करने के सफल प्रयासों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चलने वाले किसान–आन्दोलन की तरह ही, सभी आस–पास के गांवों के लोग, पिछले 5 महीनों से विरोध स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। पंजाब के हर गांव से युवा विरोध करने और लोगों को लामबंध करने के नए तरीक़ों के साथ, आगे आ रहे हैं। सामुदायिक रसोई और लंगर स्थापित किए गए हैं, जिसमें लोग स्वेच्छा से और पूरे दिल से अपना योगदान दे रहे हैं। गांव में रहने वाले लोगों ने, प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन, कंबल और अन्य सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था की है। हर दिन, प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीतिक रुझान, धर्म, लिंग आदि के मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सभी लोग एकजुट होकर इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। इस सघर्ष में महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। श्री बैंस ने अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए बताया कि सभी संघर्षरत लोग, अपने अत्यधिक साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री बिरजू नायक ने, ज़ीरा के लोगों को, उनके दृढ़ संघर्ष के लिए बधाई दी। उन्होंने इस संघर्ष के लिए, मज़दूर एकता कमेटी की तरफ से तहे दिल से समर्थन प्रकट किया। उन्होंने ज़ीरा में शराब कारखाने के कारण होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी ख़तरों को छुपाने के लिए और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा हमला करने के लिए पंजाब सरकार के जन–विरोधी रवैये की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पानी और पर्यावरण लोगों का मूलभूत अधिकार है और लोगों को अपने इस बुनियादी मानव अधिकार से वंचित करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए।

श्री बिरजू नायक ने तमिलनाडु में तुतूकुड़ी में स्टरलाइट संयंत्र के ख़िलाफ़ संघर्ष का उदाहरण दिया, यह समझाने के लिए कि कैसे राज्य पूंजीपतियों के अधिक से अधिक मुनाफ़े कमाने के अधिकार की रक्षा करता है और अदालतें इस अधिकार को वैधता देती हैं। उन्होंने बताया कि पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े की लालच लोगों के स्वास्थ्य और खुशहाली के उद्देश्य के बिलकुल विपरीत है। उन्होंने बताया कि अदालत सहित राज्य के सभी संस्थान पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करते हैं। उन्हें लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के विनाश की कोई चिंता नहीं है। केवल मज़दूर वर्ग ही लोगों की खुशहाली को सुनिश्चित करने में रुचि रखता है और इस मंजिल को हासिल करने के क़ाबिल है। उन्होंने कहा कि अगर भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी है तो मज़दूर वर्ग को राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी।

अनेक सहभागियों ने बैठक में अपने विचार रखे। उन्होंने ज़ीरा के लोगों के संघर्ष के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार और अदालतों की निंदा की। सहभागियों ने इस हकीक़त पर भी ज़ोर दिया कि बिजली आपूर्ति, रेल परिवहन, रक्षा, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्योगों और सेवाओं का निजीकरण करने में सरकार सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों के हितों की सेवा कर रही है। लोगों ने अपने खुद के अनुभवों का उदाहरण देकर यह बताया कि कैसे अदालतें पूंजीपतियों का बचाव करती हैं और जनता की भलाई के लिए लड़ने वालों पर हमला करती हैं। उन्होंने मज़दूर एकता कमेटी को एक ऐसा मंच आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया, जिस मंच पर विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूर, किसान, युवा और महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करने और अपने संघर्षों को उजागर करने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

संतोष कुमार ने वक्ताओं और सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी संघर्षरत लोगों की एकता को मजबूत करने और हमारी रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर शासक वर्ग के चौतरफा हमलों के ख़िलाफ़ हमारे सांझे संघर्ष को तेज़ करने का आह्वान करते हुए, बैठक का समापन किया।

http://hindi.cgpi.org/23026

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Feb, 2023, Date of publish - 1 Feb, 2023

To
.....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

राजस्थान के राज्य कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी

राजस्थान के लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन कई महीनों से जोर पकड़ रहा है। इसे सफल बनाने के लिये राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनेक सरकारी कर्मचारी संगठन तैयारी करते आये हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ में 18 जनवरी को संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था जहां पर अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन दिया गया था।

23 जनवरी को अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों ने जयपुर में एक विशाल रैली निकाली। इस रैली में 80 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने हिस्सा लिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।

जयपुर में 23 जनवरी का विशाल प्रदर्शन का एक दृष्य

रैली की अगुवाई अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने की।

राजस्थान में सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) का ऐलान किया है। परन्तु इससे कर्मचारियों को गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष ने सरकार को याद दिलाया कि ओ. पी.एस. के सिवाय कर्मचारियों की 15 मांगें सरकार को भेजी गई हैं। इनमें शामिल हैं, वेतन को घटाने का विरोध, प्रमोशन ग्रेड, ग्रामीण भत्ता तथा अनेक रिटायरमेंट संबंधित मुद्दे।

महासंघ के अध्यक्ष आयुदान सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन और तेज़ किया जायेगा।

इसी श्रंखला में अब कर्मचारी संघ ने 1 मार्च, 2023 को पूरे प्रदेश में आम हड़ताल का ऐलान किया है।

http://hindi.cgpi.org/23037

फ़सल बीमा भुगतान के मुद्दे पर नोहर के किसानों का जबरदस्त संघर्ष

नोहर में किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आये हैं। हाल के दिनों में उन्होंने संघर्ष को और तीखा किया है। उनकी दस सूत्रीय मांगों में शामिल हैं – बकाया बीमा क्लेम किसानों के खातों में डालना, क्रॉप कटिंग का डाटा सार्वजनिक करना, बंद बीमा पॉलिसियों को बहाल करना, किसानों के बंद केसीसी खातों को दोबारा चालू करना, वारिस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हटाना, नए कृषि कनेक्शन जारी करना, नहरों में पूरा सिंचाई पानी देना, जल जीवन मिशन योजना में सुधार लाना आदि। संघर्ष के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा और लोक राज संगठन के साथ–साथ अन्य संगठन व अनेक तबकों के लोग एक साथ आये हैं।

किसानों का अनुभव रहा है कि जब उनकी फ़सलों को नुक़सान हो जाता है

तो उनके बीमा क्लेम का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीमा कंपनियां सरकार से मिलीभगत करके किसानों के बीमा क्लेम में कटौती करती हैं। इसीलिये उन्होंने मांग की है कि क्रॉप कटिंग के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाये और इसके आधार पर किसानों को पूरा बीमा क्लेम दिया जाये।

संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये किसानों ने 16 जनवरी से नोहर उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने का निश्चय किया और उपखंड कार्यालय का घेराव करके महापड़ाव डाला। उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने मुख्य सड़क पर बैठकर सभा में राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने उपखंड कार्यालय के सामने लगे अवरोधकों को तोड़ डाला। आंदोलनकारी किसान पुलिस को धकियाते हुए उपखंड कार्यालय के अंदर जा घुसे। देर शाम तक किसान उपखंड कार्यालय के अंदर घुसकर पड़ाव डाले हुए थे।

पड़ाव को लोकराज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनुमानप्रसाद शर्मा, माकपा सचिव सुरेश स्वामी, साहित्यकार विनोद स्वामी, ब्लॉक डायरेक्टर राजेश डूडी, सरजीत बेनीवाल, रामेश्वर खिचड़, जीतराम बालिया, प्रताप सिंवर, भालाराम स्वामी, राकेश नेहरा, बालचंद शीला, मनीराम नेहरा, हेमराज कडवासरा, गणपतराम सहारण, दीलीप सहारण, अनिल श्योराण, प्रताप गोस्वामी, नरेख खाती आदि ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि बीमा क्लेम वितरण के आंकड़ों को छुपाना अपने आप में चोरी को साबित करता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खेती किसानी को घाटे का सौदा बनाने में राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। डीएपी व यूरिया संकट से लेकर बीमा क्लेम तक अन्नदाता को सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को भी एकजुटता के साथ संघर्ष करना होगा। किसानों ने कड़ाके की ठंड में टैंट में रात बिताई।

अगले दिन सुबह एडीएम व उपखंड कार्यालय के दफ़्तर खुलने के साथ ही किसानों ने आंदोलन तेज कर आर–पार के संघर्ष की चेतावनी देते हुए बीमा क्लेम मिलने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।

स्थानीय प्रशासन के साथ आंदोलनकारी किसानों की पहले दो बार की वार्ता विफल होने के बाद 17 जनवरी को जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक शाम को अपखंड कार्यालय पहुंचे। जिला कलक्टर ने मांगों पर चर्चा करके सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

इसके बाद किसानों ने अपने महापड़ाव को समाप्त कर दिया है लेकिन बीमा भुगतान होने तक अपना धरना जारी रखने का फ़ैसला लिया है।

http://hindi.cgpi.org/23044

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के 5वें महाअधिवेशन की रिपोर्ट

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 100 रू. और डाक खर्च 40 रू.)
निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी,नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :– ई–392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन : 9810167911, 9868811998